भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 619
गुरूवार, 4 दिसम्बर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

भारत में पर्यटन का संवर्धन और संवृद्धि

619 श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से अब तक कुल कितने पर्यटक आए हैं और क्या यह संख्या महामारी-पूर्व के स्तर पर पहुँच गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान विदेशी प्रचार और विपणन विकास सहायता (एमडीए) के लिए बजट आवंटन में कटौती की गई है और यदि हाँ, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन सहित विभिन्न नागरिक योजनाओं ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने और समर्थन देने में किस प्रकार योगदान दिया है; और

(घ) क्या सरकार ने देश के बारे में विदेशी पर्यटकों की धारणा को प्रभावित कर रही सुरक्षा चिंताओं के संबंध में राज्यों को कोई परामर्शिका जारी की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): वर्ष 2019 से 2024 के दौरान भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन (आईटीए) निम्नानुसार हैः

वर्ष	**आईटीए (लाख में)**
2019	179.13
2020	63.37
2021	70.10
2022	143.30
2023	188.99
2024	205.69

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमान के अनुसार विदेशी संवर्धन एवं प्रचार योजना (ओपीपी) के तहत आवंटित बजट का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**आवंटित बजट (करोड़ रु. में)**
2020-21	115.00
2021-22	89.00
2022-23	60.00
2023-24	100.00
2024-25	33.00

वर्तमान में, उद्योग की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप योजना की समीक्षा की जा रही है।

(ग): स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत, संपूर्ण शहर के स्तर पर पहलें की गई हैं जिसमें प्रमुख शहरी क्षेत्रों में प्रभावी समाधान लागू किए गए हैं। इनमें स्मार्ट मोबिलिटी, स्वच्छता, साफ-सफाई, शासन, ऊर्जा बचत और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में पहल शामिल हैं।

इसके अलावा, मिशन के तहत आने वाली परियोजनाएं विरासत संबंधी संरचनाओं के जीर्णोद्धार और संरक्षण, विरासत भवनों के अनुकूलित पुनर्प्रयोग, ऐतिहासिक स्थलों में पैदल यात्री मार्ग के निर्माण, झीलों, घाटों और नदी के किनारों के पुनरुद्धार के साथ-साथ कला और संस्कृति के संवर्धन पर भी फोकस करती हैं।

इसी प्रकार, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ऐसे प्रमुख विरासत और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छ परिवेश प्रदान करने की पहल की गई है, जहां अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं।

(घ): पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से पर्यटन संरक्षा और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। प्रमुख पहलों में यात्रियों की सहायता के लिए 24x7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन (1800-11-1363/1363) की स्थापना, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की गरिमा, संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा 'सुरक्षित और आदर्श पर्यटन हेतु आचार संहिता' अपनाना और कई राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पहले से काम कर रही समर्पित पर्यटक पुलिस की तैनाती के लिए निरंतर समन्वय शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से भी समय-समय पर महिला पर्यटकों के लिए सुरक्षा अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए निर्भया फंड के तहत 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल' नामक योजना का उपयोग करने का आग्रह किया जाता है।

*****